

-FORM No. III APP-A

Crime-I

फर्द अहकाम



(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर मुकाम...खींवसर

देदाराम बनाम बीजाराम वगैराह

कस्म मुकदमा...राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर टी एक्ट

मु. नं...BS...सन्..2022

<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>23.08.2022</p>	<p>नम्बर व तारीख की अहकाम में तामील जारी हुए</p>
<p>वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया । वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर खींवसर</p> <p>13.9.22</p> <p>वकील वारी के निकेतन पर पत्रावली पेश हुई। वकील वारी पत्रावली के निकेतन क्रिया की इस वाद में 22 अगस्त के तय इस वाद के लीट करतक कार्यवाही तथा निम्न लिखे वाद पेश करत कार्यवाही के फेर वकील वारी का उत्तर निकेतन हीनार क्रिया भवा हो तथा वकील वारी के निकेतन पर उत्तर वाद हीनो विशेष लीट क्रिया भवा है पत्रावली क्रिया सुभार लेकर वाद भवा हीनो वकील वारी के</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (S.D.O), खींवसर</p>	

श्री. डि. जी
 12/9/22



सीमान्त प्रदेश के कानून 22 एवं
 अनुसूची के अधिनियम

राज्य प्राचीन-पत्र सेवा	राजीव पेशी
प्राचीन देवराज	अप्राचीन बीजराज

प्राचीन-पत्र अधिनियम 212 RTI में
 आदेशों के तहत प्राचीन पत्रों को पेश करने की
 अनुमति के साथ आदेशों के तहत विज्ञापन जारी
 करने के लिए

भा-पत्र सेवा

प्राचीन को कानून निम्न निम्न है -

- (1) यह है कि उपरोक्त अधिनियम का प्राचीन-पत्र सेवा में पेश है जो नया है प्रथम राजीव को नहीं पेश करे कि प्रथम प्राचीन-पत्र नये तौर से पेश कर-या जा रहा है परन्तु प्राचीन-पत्र पेश करने की अनुमति नहीं है।
- (2) यह है कि प्राचीन को प्राचीन-पत्र प्राचीन पेश करने की अनुमति दी जाये।
- (3) यह है कि पञ्जाबी आदेशों राजीव पेशी पर लगे जा रहे विज्ञापन जारी किया जाये।

आतः आदेशों पेश कर निम्न है कि प्राचीन को
 पुनः नये तौर से ^{प्राचीन} पेश करने की अनुमति के साथ
 पञ्जाबी आदेशों राजीव पेशी पर लगे जा रहे
 विज्ञापन जारी करने के लिए

दिनांक 13-9-22

देवराज